



Neutral Citation No. - 2026:AHC:34448

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 2302 वर्ष 2026

विजेंद्र पाल सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: मुनेश कुमार

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. सबसे पहले, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मुनेश कुमार ने वर्तमान याचिका वापस लेने का अनुरोध किया है। इस याचिका में, प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 12.01.2026 को पारित विवादित पुनः निर्धारण आदेश को रद्द करने के लिए प्रतिषेध की प्रकृति का कोई रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की मांग की गई थी; साथ ही, परमादेश की प्रकृति का कोई रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की भी मांग की गई थी, जिसमें प्रत्यर्थियों को यह निर्देश दिया जाए कि वे दिनांक 12.01.2026 के विवादित पुनः निर्धारण आदेश के अनुसरण में, मूल वेतनमान के गलत निर्धारण के कारण हुई अधिक भुगतान की वसूली के तौर पर, याचिकाकर्ता के वेतन से प्रति माह 25,000/- रुपये की कटौती/वसूली न करें। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह याचिका इस स्वतंत्रता के साथ वापस लेने का अनुरोध किया है कि वे इसे नए सिरे से दायर कर सकें, क्योंकि उनके अनुसार, वर्तमान याचिका को विधिवत रूप से गठित नहीं किया गया है।

2. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

3. उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ, यह रिट याचिका वापस ली गई मानकर **खारिज** की जाती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



17 फरवरी, 2026

आशु

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”